

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न " के संबंध में शिकायत समिति के गठन के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को " कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न " के संबंध में शिकायत समिति का गठन करने और नियमित तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 07 अगस्त, 2009 के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं. 1/109/7/2009-टीएस के अनुसरण में दिनांक 27 अगस्त, 2009 के समसंख्यक कार्यालय आदेश की एक प्रति इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यस्थल पर की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई करने में कोई विलंब न हो और जब कभी ऐसी शिकायतें की जाएं तो अरुचि या उदासीनता की भावना का कोई अवसर पैदा न हो इसलिए विनिवेश विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार उनकी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों के साथ "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति " का गठन किया जाता है :-

(क)	श्रीमती मीनाक्षी घोष, संयुक्त सचिव विनिवेश विभाग	अध्यक्षा
(ख)	श्रीमती अनीता चौहान, निदेशक विनिवेश विभाग	सदस्य
(ग)	श्री टी. त्यागराजन, अवर सचिव विनिवेश विभाग	सदस्य

2. उपरोक्त मामले से संबंधित शिकायतें, यदि कोई हों, श्रीमती मीनाक्षी घोष, संयुक्त सचिव के नाम उनके कार्यालय पते पर सम्बोधित की जा सकती है।

3. इसे सचिव (विनिवेश) का अनुमोदन प्राप्त है ।



(नरेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2436 0163